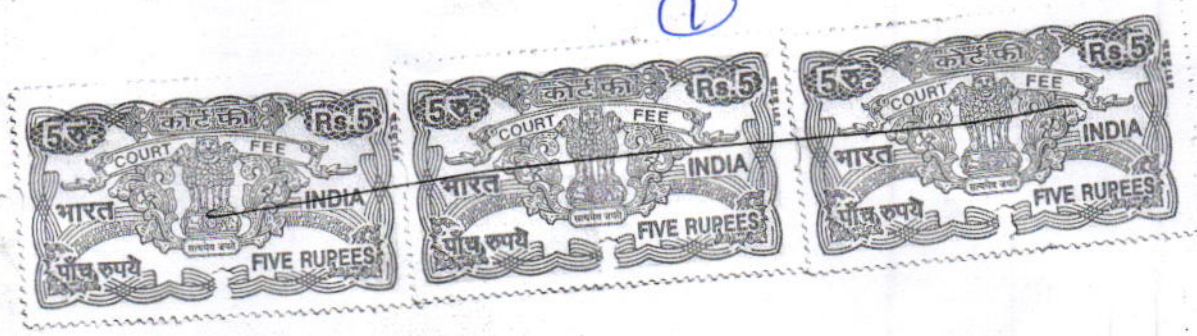

न्यायालय माननीय राजस्व मण्ड़ल मध्य प्रदेश मोती महल ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 निगरानी R-313-PBR-15

आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता — ग्वालियर विकास प्राधिकरण द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, 1– रवि नगर ग्वालियर

विरुद्ध

अनावेदकगण

1. मानसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी सोड़ा का कुंआ किलागेट ग्वालियर
2. बालमुकुन्द पुत्र नादरिया, निवासी सोडा का कुंआ किलागेट, ग्वालियर
3. म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ग्वालियर

**निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 30.08.2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर अन्तर्गत प्रकरण क्रमांक 179/11–12/अपील**

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1. यह कि, न्यायालय अपर तहसीलदार वृत्त–6 गुढीना उप तहसील मुरार द्वारा ग्वालियर विकास प्राधिकरण (जिसे निगरानी के आगामी पदों में आवेदक के नाम से सम्बोधित किया है) के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र वास्ते भूमि स्वामी के रुप में ग्राम दीनारपुर के सर्वे क्रमांक 130, 131

(3)

**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

---

प्रकरण क्रमांक - निग0 313-पीबीआर/15 जिला - ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 30/5/19 | प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा प्रकरण में अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर दिये गये तर्कों पर विचार किया गया । यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30-8-14 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 7-3-15 को अर्थात 3 माह से भी अधिक विलंब से प्रस्तुत की गई है और विलंब का कारण अधिवक्ता द्वारा लगभग एक माह पश्चात आदेश की जानकारी देना, वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने में लगा समय, संबंधित दस्तावेज उपलब्ध होने में लगा समय एवं विवादित आदेश की पूर्व में प्राप्त सत्यप्रतिलिपि अभिलेख से गुम हो जाना दर्शाया गया है । उक्त आधार प्रथमदृष्टया ही लापरवाही का द्योतक हैं । आवेदक को समय-समय पर अपने अधिवक्ता से प्रकरण में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहिए था । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 1992 आर0एन0 282 ( श्रीमती लंगरी एवं अन्य विरूद्ध छोटा तथा अन्य ) में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :-<br>" परिसीमा अधिनियम, 1963 - धारा - 5 विलंब सद्भाविक अर्थात - कार्यवाही में अनुपस्थिति तथा अपने काउन्सेल से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया गया अथवा मामले के भाग्य के विषय में जांच करने का कोई कदम नहीं - पक्षकारों का यह आचरण उनकी ओर से गंभीर ढील, उपेक्षा और निष्क्रियता प्रकट करता है - इसे सद्भाविक नहीं कहा जा सकता ।"<br>माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के प्रकाश में यह निगरानी अवधि बाह्य होने से निरस्त की जाती है ।<br>2/ पक्षकार सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये ।<br>अध्यक्ष | |